संख्या-277/2025/1996/007-23-6099-099-40-2025

प्रेषक,

शिव कुमार,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग,

उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6 **लखनऊ: दिनांक 29-09-2025**

विषयः वित्तीय वर्ष 2025-26 में धर्मार्थ कार्य योजनान्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों के कतिपय जनपदों के 14 चालू कार्यों पर धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लो०नि०वि०, लखनऊ के पत्र(तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजना के अधोलिखित तालिका में अंकित 14 चालू कार्य पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल रू0 3855.17 लाख (रूपये अड़तीस करोड पचपन लाख सत्रह हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण/शर्तों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	मुख्य अभियंता (मु 0-1) के पत्रांक	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य	मूल स्वीकृति का शासनादेश संख्या एवं दिनांक	स्वीकृत/ प्राविधिक/ बचत/ बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	क्षेत्र से मांग	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	16009/CE-HQ1/DHARMARTH/AGR/2025-26 Dt- 27-08-2025	नि.ख.-2 आगरा	चावली माइनर रोड से सिद्ध बाबा मंदिर गढ़ी तक मार्ग के नवनिर्माण का कार्य	155/2025/916/001-23-6099(099)/94/2025/दिनांक- 30-03-2025	65.22 65.22 14.65 50.57	0.38	30.00	30.00
2	16290/CE-HQ1/DHARMARTH/BAR/2025-26 Dt- 12-09-2025	प्रा.ख. शाहजहांपुर	जनपद शाहजहाँपुर में बण्डा खुटार मार्ग के कि0मी0 03 से सुनासरनाथ होते हुए पीलीभीत बस्ती मार्ग तक चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य की कुल लम्बाई 17.00 किमी0	170/2025/933/23-6099-099-15-2025	4823.26 4823.26 1333.13 3490.13	349.01	2966.61	1221.55
3	16305/CE-HQ1/DHARMARTH/AGR/2025-26 Dt- 12-09-2025	प्रा.ख. मथुरा	जनपद मथुरा में में टैंक चौराहा से पावर हाउस मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	179/2025/940/001-23-6099/90/2025	294.33 294.33 110.14 184.19	0.05	19.00	19.00
4	16306/CE-HQ1/DHARMART	प्रा.ख. चंदौली	जनपद चन्दौली में हिन्गुत्तर नादी रामगढ़ गुरेरा मार्ग	288/2023/ष्ध्3950 65ध्2023/23-	4857.36 4857.36	2871.01	200.00	200.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	H/VNS/2025-26 Dt- 12-09-2025		(अ0जि0मा0) के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य (लम्बाई 9.000 किमी0)	11099(099)/99/2023, दिनांक-25.09.2023	1369.53 3487.83			
5	16337/CE-HQ1/DHARMARTH/LKO/2025-26 Dt- 16-09-2025	नि.ख. सीतापुर	चैरासी कोसीय परिक्रमा मार्ग हेतु कोरोना से रामगढ़ चीनीमिल सम्पर्क मार्ग के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	99/2025/666/001-23-6099-099-42-2025,दि-10.03.2025	1144.12 1144.12 203.42 940.7	236.06	250.00	250.00
6	16338/CE-HQ1/DHARMARTH/JHA/2025-26 Dt- 16-09-2025	नि.ख.-3 जालौन	वितीय वर्ष 2024-25 में धर्मार्थ योजना के अंतर्गत बबीना हंसा अभिरूवा सेमदरालालपुर स्थित सूर्य मंदिर तक संपर्क मार्ग चैनेज 15.780 से 17.980 में चौड़ीकरण एवं सुंदरीकरण का कार्य।	155/2025/916/001-23-6099(099)/94/2025	328.74 324.41 29.77 294.64	4.03	150.00	150.00
7	16349/CE-HQ1/DHARMARTH/KNP/2025-26 Dt- 16-09-2025	नि.ख. फर्रूखाबाद	कम्पिल से कायमगंज तक कि0मी0-13 से 22(500) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	129/2025/863/001-23-6099-099-7-2025	1894.23 1894.23 250.94 1643.29	322.22	120.00	120.00
8	16350/CE-HQ1/DHARMARTH/BAS/2025-26 Dt- 16-09-2025	प्रा.ख. संतकबीरनगर	जनपद संतकबीरनगर में बस्ती महसो महुली से हरदी मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	156/2025/917/001-23-6099-93-2025	444.07 444.07 69.61 374.46	5.34	80.00	80.00
9	16392/CE-HQ1/DHARMARTH/ADY/2025-26 Dt- 17-09-2025	प्रा.ख. अमेठी	मुसाफिरखाना धरौली नन्दौर मठा रामपुर मझगवा पलिया चन्दापुर मार्ग के चैनेज 1.70 से 1.90 तक चैड़ीकरण एवं चैनेज 1.90 से 2.80, 13.10 से 13.20 तक चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (महावीरन मन्दिर ग्राम धरौली चन्दापुर मार्ग पर चन्दापुर ग्राम के पास तक)	92/2025/679/001-23-6099-099-59-2025,दि-07.03.2025	190.26 190.26 20.35 169.91	102.21	59.20	59.20
10	16438/CE-HQ1/DHARMARTH/MIR/2025-26 Dt- 19-09-2025	प्रा.ख. भदोही	ज्ञानपुर लालानगर गोपपुर से ओ0बी0टी0 कम्पनी मार्ग (अ0जि0मा0) के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	100/2025/707/23-6099/48/2025,दि-10.03.2025	1437.50 1437.50 51.81 1385.69	92.27	500.00	500.00
11	-तदैव-	प्रा.ख. मिर्जापुर	दूधनाथ तिराहा से लाल भैरव मंदिर होते हुए बरतर तिराहा तक मार्ग के चैड़करण एवं सुदृढ़ीकरण।	102/2025/383/23-6099/43/2025,दि-11.03.2025	908.16 908.16 45.37 862.79	294.82	477.15	477.15
12	-तदैव-	प्रा.ख. मिर्जापुर	अमरावती पाषाण मार्ग (विन्ध्याचल अटल चैराहा से देवरहवा बाबा आश्रम तक) (अ0जि0मा0) का चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	102/2025/383/23-6099/43/2025,दि-11.03.2025	1378.78 1378.78 18.00 1360.78	739.39	483.51	483.51
13	-तदैव-	प्रा.ख. सोनभद्र	चोपन मध्य प्रदेष बार्डर के कि0मी0-04 से अति प्राचीन एवं पर्यटन के दृष्टिगत गोठानी षिव मन्दिर मार्ग का 02 लेन में चैड़ीकरण का कार्य।	92/2025/679/001-23-6099-099-59-2025,दि-07.03.2025	293.78 293.78 42.20 251.58	4.24	234.76	234.76
14	16393/CE-HQ1/DHARMART	प्रा.ख. सिद्धार्थ नगर	जनपद सिद्धार्थनगर में बर्डपुर पिपरहा मार्ग	264/2023/प्प्[3843 24ध्2023/23-	1672.95 1672.95	1307.45	30.00	30.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	H/BAS/2025-26 Dt- 17-09-2025		(अ0जि0मा0) का 10 मी0 चैड़ाई में चैड़ीकरण का कार्य (लम्बाई 9.400 कि0मी0)	11099(099)/163/ 2023, दिनांक- 09.09.2023	331.06 1341.89			
							कुल योग	3855.17

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

(1) प्रश्नगत चालू कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गतआदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/कार्यों के संपरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजना के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल एवं पुनरीक्षित शासनादेशों के समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) लोक निर्माण विभाग में सी०सी०एल० प्रणाली समाप्त किये जाने के फलस्वरूप वर्क्स से संबंधित बजट के आनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 तथा कार्यों के व्यय को सी०सी०एल० प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किये जाने के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13.04.2022 में निहित व्यवस्था/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 38,55,17,000 (रुपये अड़तीस करोड़ पचपन लाख सत्रह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054043371200 धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण, नवनिर्माण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
शिव कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० शासन ।

2- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन ।

3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।

4- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।

5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।

6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।

10- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु०-4/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1, उ०प्र० शासन।

12- राज्य योजना आयोग-1/2, 30प्र0 शासन।

13- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

14- लोक निर्माण अनुभाग-10/11, उ०प्र० शासन।

15- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०शासन।

16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
शिव कुमार
अनु सचिव।

http://shas

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।